

श्री गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. हनुमानगढ ज.

पत्र क्रमांक/गंगमूल/पी.एण्ड.आई./2025 १५११-१५०५

दिनांक :- 13.11.2025


ईनिविदा सूचना

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ जं० द्वारा संघ के कार्यक्षेत्र की विभिन्न बीएमसी समितियों से दुग्ध परिवहन करने एवं सामान लाने व ले जाने के लिये एक वर्ष हेतु SS इन्सूलेटेड टैंकर 9000 से 12000 किलोग्राम क्षमता के किराये पर लेने हेतु संघ द्वारा ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निर्धारित इच्छुक व्यक्ति/फर्म निविदा प्रपत्र वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से दिये गये निर्देशानुसार अपलोड कर सकते हैं। विस्तृत निविदा संघ की वेबसाइट www.sriganganagarmilkunion.com से पर देखी जा सकती है।

।
(उग्रसेन सहारण)
प्रबन्ध संचालक

प्रतिलिपी :-

1. प्रबन्धक प्रणाली, आरसीडीएफ०लि०, जयपुर।
2. अति० निजी सचिव प्रबन्ध संचालक महोदय को सूचनार्थ।
3. प्रभारी पीएण्डआई/प्रभारी लेखा शाखा/प्रभारी गुणनियंत्रण।
4. नोटिस बोर्ड- पीएण्डआई/संयंत्र।
5. प्रभारी एमईएस-कृष्या संघ की वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करवायें।
6. संपादकको भेजकर लेख है कि उक्त ई-निविदा सूचना को आप अपने दैनिक हिन्दी पत्रिका मेंस्थान में शीघ्रताशीघ्र एक बार संघ के लोगो के साथ प्रकाशित करें।
7. मास्टर फाईल/कार्यालय पत्रावली।


प्रबन्ध संचालक

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD

Industrial Area, Hanumangarh Jn.-335512
Tel No. 01552-260522, 260793, E-mail: gngmu-rj@nic.in

**E-TENDER FORM
FOR**

इन्सुलेटेड, टैंकर वाहन के द्वारा(06)
दुग्ध परिवहन मार्गों पर हनुमानगढ,
श्रीगंगानगर जिले की बीएमसी दूध
समितियों से संयन्त्र तक दूध
परिवहन कार्य हेतु अनुबन्ध

SRIGANGANAGAR MILK UNION, HANUMANGARH (RAJASTHAN)

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD.

Industrial Area, HANUMANGARH JUNCTION- 335512 (Raj.)

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD

Industrial Area, Hanumangarh Jn.-335512

Tel No. 01552-260522, 260793, E-mail: gngmu-rj@nic.in

क्रमांक / गंगमूल / पीएण्डआई / 2025 / 9499-9504

दिनांक:-12.11.2025

ई-निविदा-सूचना

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ़ जं० विभिन्न बीएमसी समितियों से दुग्ध परिवहन करने एवं सामान लाने, ले जाने के लिये प्रति किलोमीटर प्रति 9000 किलोग्राम दूध की दर से एक वर्ष हेतु **SS इन्सुलेटेड टैंकर 9000 से 12000** किलोग्राम क्षमता अन्दर से **SS304** व बाहर से **SS304 / 202** (मॉडल वर्ष 2019 या उससे बाद का) लगाये जाने के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र० स०	दुग्ध मार्ग का नाम	कुल टैंकर आवश्यकता	वाहन का प्रकार	पथ की दूरी (लगभग)	टैंकर क्षमता (किलोग्राम में) लगभग	अमानत राशि (प्रति टैंकर)	निविदा स्वीकृत पश्चात धरोहर राशि (प्रति फर्म)
1	संघ के विभिन्न बीएमसी पथ	06	इन्सुलेटेड टैंकर 9000 से 12000 किलोग्राम अन्दर से SS304 बाहर से SS304 / 202	200 किलोमीटर	9000 से 12000	50000/-	500000/-

इच्छुक परिवहनकर्ता / व्यक्ति / फर्म निविदा प्रपत्र वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से दिये गये निर्देशानुसार डाउनलोड कर दिनांक 03.12.2025 सांय 5.00 बजे तक अपलोड कर सकते हैं। निविदाएं दिनांक 04.12.2025 को सांय 3.00 बजे संघ कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेंगी।

निविदा शुल्क 1180 रुपये (जीएसटी सहित) श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ़ के नाम डी.डी. के रूप में तथा निविदा प्रोसेसिंग शुल्क 2000 रुपये **MD, RISL, Jaipur** के नाम डीडी के रूप में एवम अमानत राशि की डीडी (50000 रुपये प्रति टैंकर) संघ कार्यालय में जमा करवाना होगा। निविदा शुल्क, अमानत राशि एवम निविदा प्रोसेसिंग शुल्क जमा नहीं करवाने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। किसी भी निविदा प्रपत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्रबंध संचालक, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के पास सुरक्षित है।


प्रबन्ध संचालक

प्रतिलिपी:-

1. प्रबन्धक प्रणाली, आरसीडीएफ०लि०, जयपुर।
2. प्रभारी दुग्ध अवशीतन केन्द्र हनुमानगढ़ / भादरा / सूरतगढ़।
3. प्रभारी लेखा।
4. प्रभारी एमआईएस- कृपया संघ की वेबसाइट एवं <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर उपरोक्त ई-निविदा अपलोड करवायें।
5. नोटिस बोर्ड / रक्षित / कार्यालय पत्रावली।


प्रबन्ध संचालक



श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० हनुमानगढ जं०

Ref No. GANGMUL/P&I/2025/

Dated:- 12.11.2025

UBN No.

NOTICE INVITING TENDER

E-Tender are invited For 6 दुग्ध परिवहन मार्गों पर इन्सुलेटेड टैंकर Stainless Steel, क्षमता 9000 से 12000 किलोग्राम वाहन द्वारा हनुमानगढ व श्रीगंगानगर जिले की दूध समितियों से सयन्त्र तक दूध परिवहन कार्य हेतु अनुबन्ध IN GANGMUL DAIRY at SRIGANGANAGAR MILK UNION, HANUMANGARH (RAJASTHAN). Further details can be obtained from website <http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://sppp.rajasthan.gov.in>

Estimated Cost of work	: Rs. 3Cr.
Earnest Money	: Rs. 50000.00 (Per Tanker)
(By D.D. Only in favour of MD,SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD. HANUMANGARH)	
TENDER FORM FEES	: Rs. 1180 /- (With GST)
(By D.D. Only in favour of MD,SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD. HANUMANGARH)	
TENDER PROCESSING FEES	: Rs. 2000/- by Demand Draft only in favour of MD,RISL, payable at JAIPUR
Date & Time of Downloading of Tender	: 13.11.2025 6:00 PM To Onward
Date of Submission of Tender	: 03.12.2025 5:00 PM
Date & Time of opening of Technical bid	: 04.12.2025 3:00 PM

Note:

Demand draft of Tender fees and EMD along with processing fees should be deposited in physical form up to (01:00 PM on 03.12.2025) in **P&I Section.**

हस्ताक्षर निविदादाता

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD

Industrial Area, Hanumangarh Jn.-335512
Tel No. 01552-260522, 260793, E-mail: gngmu-rj@nic.in

INSTRUCTIONS FOR SUBMISSION OF E-TENDER FORM & DOCUMENTS

1. The bidders who are interested in bidding can download tender documents from <http://eproc.rajasthan.gov.in>
2. Bidders who wish to participate in this tender will have to register on <http://eproc.rajasthan.gov.in> to participate in online tenders; Bidders will have to procure Digital Signature Certificate (type III) as per Information Technology Act-2000 using which they can sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, safe crypt, Ncode etc. or they may contact e-procurement Cell, Department of IT & C, Government of Rajasthan for further assistance. Bidders who already have a valid Digital certificate need not procure a new Digital Certificate.
Address: e-Procurement Cell, RISL, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C Scheme, Jaipur.
3. Bidders shall submit their offer on-line in Electronic formats however D.D. for Tender fee, Processing Fee and E.M.D. should be submitted manually in the office of Tendering Authority Before date & time of opening of bids without which tender form will not be accepted and scanned copy of D.D. should also be uploaded along with the online bid.
4. Before electronically submitting the tenders, it should be ensured that all the tender papers including conditions of contract are digitally signed by the tenderer.
5. The scan copy of tender form, rates & other relevant documents duly signed by Tenderer should be submitted online only.
6. If required by the Tenderer, training may be given by DOIT, Yojana Bhawan, Bidder Contact: E-Procurement Cell, 1st Floor, Yojana Bhawan Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur. Help Desk MOBILE:+91-78780-07972, +91-78780-07973 or 180030702232 Toll free, 24X7 E-mail-eproc.rajasthan.gov.in
7. Tender Form & handwritten rates would not be accepted in Tender Box.
8. Please read carefully the steps of submitting Tender online.
9. Bidders are also advised to refer "Bidders manual" available under "Downloads".

(Signed by the tenderer)

in token of acceptance of above)

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD

Industrial Area, Hanumangarh Jn.-335512
Tel No. 01552-260522, 260793, E-mail: gngmu-rj@nic.in

Important Date and Time

Sr.	Particulars	Date/Time
1.	Date & time of Uploading tender form by Milk Union	13.11.2025
2.	Date & time of start of Uploading tender by tenderer	13.11.2025 by 6.00 PM
3.	Last Date & time of Uploading tender by tenderer	03.12.2025 by 05:00 PM
4.	Last Date & time submission of :-	
i	EMD (Rs. 50,000/- Par Tankar) per route applied by DD in the name of MD,SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD. HANUMANGARH	04.12.2025 upto 1:00PM At GANGMUL, HMH
ii	Tender form fee Rs. 1180/-(1000+18%GST) by DD in the name of MD,SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD. HANUMANGARH	04.12.2025 upto 1:00PM At GANGMUL, HMH
iii	E-tender processing fee Rs. 2000 by DD / Banker cheque / pay order in the name of MD, RISL., Jaipur Stamp Rs.100	04.12.2025 upto 1:00PM At GANGMUL, HMH
iv	Affidavit of Annexure I & II	04.12.2025 upto 1:00PM At GANGMUL, HMH
5.	Date & time of bid opening	04.12.2025 at 3:00 PM

(Signed by the tenderer)

in token of acceptance of above)

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD

Industrial Area, Hanumangarh Jn.-335512
Tel No. 01552-260522, 260793, E-mail: gngmu-rj@nic.in

आवश्यक विवरण

1. निविदा का नाम :- गंगमूल संघ कार्यक्षेत्र की विभिन्न बीएमसी समितियों से दुध परिवहन कार्य
2. निविदा सूचना क्रमांक :- क्रमांक/गंगमूल/पीएण्डआई/2025/
3. निविदा फॉर्म शुल्क :- 1180 (एक हजार एक सौ अस्सी रुपये जीएसटी सहित)
4. अमानत राशि (डीडी) :- 50,000 (पचास हजार रुपये) प्रति टैंकर
5. धरोहर राशि (निविदा स्वीकृत पश्चात्) :- 5,00,000 (पांच लाख रुपये)/प्रति फर्म
6. अनुबंध अवधि :- एक वर्ष हेतु
7. वाहन का प्रकार:- **SS इन्सुलेटेड टैंकर 9000 से 12000 किलोग्राम क्षमता का अन्दर से SS304 व बाहर से SS304/ 202**
8. वाहन का मॉडल :- मॉडल 2019 या उससे बाद का।
9. पत्राचार का पता एवं निविदा खोलने का स्थान :- प्रभारी पीएण्डआई कार्यालय, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, औद्योगिक क्षेत्र, हनुमानगढ़ जं0-335512

हस्ताक्षर निविदादाता

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० हनुमानगढ जं०

निविदा तकनीकी प्रपत्र पार्ट-अ

इन्सुलेटेड, टैंकर वाहन के द्वारा बीएमसी दूध समितियों से दूध परिवहन कार्य हेतु निविदा। निविदादाता निम्नांकित प्रपत्र में सही व सत्य, पूर्ण सूचनाएं भरकर मय अपने हस्ताक्षर से छाया प्रतियों वांछित दस्तावेजों को मूल से स्केन कर वेब साईड पर लोड करे, अपूर्ण असत्य व गलत सूचनाएं, साक्षियों के पाये जाने पर निविदा निरस्त होने की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता अपने हस्ताक्षर कर, वेब साईड पर लोड करेगा। व्यक्ति अथवा प्रोपराईटर फर्म का मालिक स्वयं निविदा पर हस्ताक्षर करेगा। केवल सांझेदारी फर्म, कर्ता व प्राईवेट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के लिये अधिकृत प्रतिनिधि वांछित पावर ऑफ अटोर्नी संलग्न करते हुए ही निविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होगा।

विवरण	मांगे गये वांछित दस्तावेज
निविदादाता का नाम.....	आधारकार्ड, पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, राशन कार्ड
पिता का नाम.....	उपरोक्तानुसार
स्थायी पता.....	उपरोक्तानुसार
पत्राचार का पता.....	उपरोक्तानुसार
जहा फर्म हो इसका पत्राचार का पता (लिखे).....	पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति
पासपोर्ट साईज फोटो.....	फोटो चिपकावे व हस्ताक्षर करें
शैक्षणिक योग्यता.....	शर्तों में वांछित दस्तावेज
मोबाईल फोन.....	बिल संलग्न करें।



हस्ताक्षर निविदादाता

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ जं०

ई-मेल का पता.....	लिखे
नोट- साझेदार फर्म की दशा में सक्रिय साझेदार तथा एचयूएफ की दशा में कर्ता तथा कम्पनी फर्म की दशा में सक्रिय निदेशक में निविदा भरेगें व निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करेंगे, अतः उनका विवरण उपरोक्त कॉलम में भरे। इन सब के लिए पावर ऑफ अटोरनी संलग्न करें। व्यक्ति अथवा प्रोपराईटर फर्म की दशा में स्वयं ही निविदादाता उपरोक्त जानकारी देकर हस्ताक्षर करेंगे।	
पेन कार्ड विवरण.....	संलग्न करें।
आधार कार्ड	संलग्न करें।
निविदादाता के बैंक का नाम व पता.....	बैंक की पास बुक जिसमें यह विवरण हो
निविदादाता के बैंक खाता संख्या.....	उपरोक्तानुसार
निविदादाता के बैंक आईएफएससी कोड नं०.....	उपरोक्तानुसार
निविदादाता के बैंक के अनुसार अंकित नाम का विवरण.....	उपरोक्तानुसार
जमा निविदा फीस बैंक ड्राफ्ट की संख्या तथा राशि व बैंक का नाम	विवरण लिखे
जमा निविदा प्रोसेसिंग फीस बैंक ड्राफ्ट की संख्या व दिनांक तथा राशि व बैंक का नाम.....	विवरण लिखे
अमानत राशि के लिए प्रस्तुत डीडी/ बैंक गारन्टी की संख्या व दिनांक तथा राशि व बैंक का नाम.....	विवरण लिखे
निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत शपथ पत्र- नोमिनि घोषणा बाबत्, वयस्क एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने बाबत्, ब्लेकलिस्ट नही होने बाबत्, दिवालिया नही होने बाबत्, निवास स्थान के पते के बाबत् निविदा प्रपत्र में दर्शायी सभी जानकारियां सत्य व सही होने तथा कोई भी सूचना व दस्तावेज मिथ्या नही होने अथवा कोई तथ्य नही छिपाया गया होने बाबत्, निविदा प्रपत्र मे अंकित सभी विवरण शर्तो, संलग्नको से सहमत होने, पढकर समझ लेने तथा प्रमाण स्वरूप सभी पर हस्ताक्षर कर देने बाबत्, स्वयं अथवा उसके आश्रित पति-पत्नि, पुत्र-पुत्री अथवा आश्रित माता का संघ में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सेवा में नही होने व संचालक मण्डल सदस्य या उनका कुटूम्बी नही होने बाबत् शपथ पत्र.....	नोटेरी पब्लिक से सत्यापित मूल शपथ पत्र 100 रु. के स्टाम्प पर संलग्न करें।
वाहन पंजीयन प्रमाण-पत्र	संलग्न करें।



हस्ताक्षर निविदादाता

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ जं०

वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र व वाहन का प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र (प्रभावी दिनांक..... तक.....)	संलग्न करें।
वाहन की बीमा पॉलिसी (प्रभावी दिनांक तक)	संलग्न करें।
वाहन का मॉडल (वर्ष-2019 या बाद का)	संलग्न करें।
गत वर्ष का रोड टैक्स जमा चालान	दस्तावेज संलग्न करें।
सादे कागज पर चैसिस व इंजन नम्बर पैन्सिल से घिस कर मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।	दस्तावेज संलग्न करें।
वाहन चालक का नाम, वयस्क होने का प्रमाण व स्थाई पता व अनुबन्ध अवधि में लगातार सेवा देने का शपथ पत्र.....	दस्तावेज संलग्न करें।
वाहन चालक का ड्राईविंग लाईसेन्स (प्रभावी दिनांकतक.....)	दस्तावेज संलग्न करें।
पासपोर्ट साईज फोटो	दस्तावेज संलग्न करें।
एफ.एस.एस.ए.आई. एक्ट, 2006 का प्रमाण पत्र।	दस्तावेज संलग्न करें।
घोषणा पत्र की संघ में अथवा राजस्थान के अन्य संघों में वर्तमान में निविदादाता के जितने भी अनुबन्ध संचालित है उसका विवरण व अनुबन्धित वाहनों की सूची व वाहन परिचालन मार्गों के नाम का विवरण। (संघ के आदेश संलग्न करें।)	दस्तावेज संलग्न करें।



हस्ताक्षर निविदादाता

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ जं०

वाहन सूचना:- (उपलब्ध करवाये जाने वाले पंजीकृत वाहन की सूचना)

क्र. स.	टैकर की पंजीयन संख्या	व्यक्ति का नाम जिसके नाम पर टैकर पंजीकृत है।	पंजीयन अनुसार भरे टैकर की भार क्षमता	पंजीयन अनुसार खाली टैकर की भार क्षमता	पंजीयन अनुसार टैकर की बेरल क्षमता	वाहन मॉडल
1						
2						
3						

नोट:- वाहन मॉडल 2019 से पुराना नहीं होना चाहिये

मैं यह सत्य निष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज मेरे ध्यान के अनुसार सत्य सही व पूर्ण है। इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटी होने पर निविदा निरस्त होने के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूँगा। संघ द्वारा मेरी निविदा बिना कारण बताये निरस्त किये जाने अथवा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने की मुझे कोई आपत्ति नहीं है तथा मैंने निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।





हस्ताक्षर निविदादाता

निविदा भरते समय शर्तें (बीएमसी टैंकर)

1. निविदादाता को ई-टैण्डर के माध्यम से ऑनलाईन निविदा भरनी होगी।
2. निविदा टैण्डर नोटिस में दिये गये निर्धारित स्थान एवं दिनांक व समय को खोली जावेगी। निविदाकर्ता निविदा खोलने के स्थान पर उपस्थित रह सकेगा।
3. SS इन्सुलेटेड टैंकर 9000 से 12000 किलोग्राम क्षमता अन्दर से SS304 व बाहर से SS304/ 202 के टैंकर हेतु 9000 किलोग्राम प्रति किलोमीटर की दरें मागी गई है। परिवहन भुगतान परिवहन किये जाने वाले वास्तविक दुध की मात्रा अनुसार प्रोराटा के आधार पर होगा। जिसमें अधिकतम क्षमता 12000 किग्रा दुग्ध परिवहन का भुगतान देय होगा।
(1) उदाहरण:-अगर दर 18 रुपये प्रति किलोमीटर/9000 किलोग्राम की है एवं दुध 12000 किलोग्राम परिवहन किया गया है तो दर निम्न प्रकार से गणना होगी।
दर प्रति किलोमीटर:- 12000/9000 X18 = 23.99 रुपये प्रतिकिलोमीटर
4. उपलब्ध करवाये जाने वाले टैंक की क्षमता अनुसार, टैंकर वाहन का परिवहन विभाग से पासिंग होना अनिवार्य होगा, जो कि अधिकतम 12000 किग्रा वजन तक होगा।
5. 9000 किलोग्राम से कम मात्रा के परिवहन पर न्यूनतम 9000 किलोग्राम दूध मात्रा का प्रतिकिलोमीटर की दर से भुगतान दिया जावेगा। बशर्ते टैंकर की क्षमता परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित क्षमता 9000 किलोग्राम से अधिक हो।
6. प्रबन्ध संचालक न्यूनतम दर पर परिवहन ठेके को दिये जाने हेतु बाध्य नहीं होंगे। प्रबन्ध संचालक को किसी भी निविदा को स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार होगा और ठेका निरस्त करने पर किसी प्रकार का ठेकेदार को स्पष्टीकरण नहीं दिया जावेगा।
7. ठेकेदार को स्वयं का पूर्ण व सही पता देना होगा, जिस पर संघ द्वारा पत्र व्यवहार किया जा सके। ठेकेदार द्वारा दिये गये पते पर संघ द्वारा पत्र व्यवहार करने पर पत्र का मिलना माना जावेगा। आधार व पैन कार्ड की प्रति संलग्न करें।
8. बिना अमानत राशि (डीडी) जमा करवाये निविदा मान्य नहीं होगी एवं अमानत एवं धरोहर राशि के रूप में जमा रकम पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
9. वाहन निविदादाता के स्वयं के नाम पंजीकृत होना आवश्यक है तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी एवम वाहन का मॉडल 2019 या उसके बाद का हो छाया प्रति निविदा प्रपत्र के भाग अ के साथ संलग्न करनी होगी। अन्यथा इसके अभाव में निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। अगर कोई निविदादाता नया वाहन लगाना चाहता है तो उसका शपथ-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा जिसके अभाव में वित्तीय निविदा नहीं खोली जावेगी। निविदा स्वीकृत होने के पश्चात दिये गये समय पर नया वाहन मय आर.सी. प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
10. निविदा प्रपत्र के साथ 50000-00 रुपये (प्रति टैंकर) डीडी द्वारा अमानत राशि एवं निविदा स्वीकृति उपरान्त व कार्य आदेश जारी होने से पूर्व 500000-00 (पांच लाख रुपये) प्रति फर्म धरोहर राशि संघ में जमा करवानी होगी, परन्तु पूर्व में बीएमसी पथ में कार्यशील अनुबन्धित फर्म के लिये पूर्व में जमा धरोहर राशि व वर्तमान निविदा की धरोहर राशि की केवल अन्तर राशि का को ही जमा करवाना होगा। निविदा के समय जमा कराई गई अमानत राशि, धरोहर राशि के रूप में प्रति टैंकर अलग से मानी जावेगी।
11. निविदादाता द्वारा बी.ओ.क्यू. (BOQ)में प्रदर्शित दर को अंको व शब्दों में भरना होगा। दर सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में शब्दों में लिखी गई दर मान्य होगी व दर प्रति 9000 किलोग्राम दूध हेतु प्रतिकिलोमीटर अंकित करनी होगी।
12. निविदा स्वीकृत होते ही यह माना जावेगा की निविदादाता द्वारा निविदा शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है तथा निविदा दाता द्वारा निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होंगे। निविदा शर्तों में निविदा दाता को किसी भी शर्त को हटाने या जोड़ने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी निविदादाता द्वारा निविदा शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन/फेरबदल किया जाता है तो यह मान्य नहीं होगा तथा उक्त निविदादाता का टैण्डर निरस्त कर दिया जावेगा।
13. यदि वाहन साझेदारी में हो तो किसी एक साझेदार के हस्ताक्षर करवाने होंगे, बशर्ते उसके पास पॉवर ऑफ अटोर्नी हो। निविदा फार्म के साथ साझेदारी डीड की प्रति संलग्न करनी होगी। साझेदारी डीड के अभाव में टैण्डर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
14. दो न्यूनतम दरों वाले निविदादाताओं की अमानत राशि संघ द्वारा रोकी जावेगी। द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदादाता की संघ में जमा राशि प्रथम न्यूनतम दर वाले वाहन पथ में लगाने के उपरान्त ही लौटाई जा सकेगी।

15. अगर वाहन दूध आदि चोरी करने पर हटाया गया था, संघ को कोई भी हानि पहुँचाने की कोशिश की गई थी, संघ के किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार जैसा कृत्य किया गया था या किसी वाहन ठेकेदार का कार्य सन्तोषप्रद नहीं रहा हो या ब्लैक लिस्ट घोषित किया गया हो तो ऐसी स्थिति में उसकी निविदा अस्वीकृत की जा सकेगी। इससे संबंधित शपथ-पत्र संलग्न प्रारूप में देना होगा।
16. अगर कोई वाहन ठेकेदार नया वाहन लगाना चाहता है तो अपना शपथ-पत्र निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु निविदा स्वीकृत होने के पश्चात एक माह में नया वाहन मय आर. सी. प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
17. निविदादाता को 1000/-रूपये के नोन जूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
18. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निविदादाता को औपचारिकताएँ पूर्ण करने हेतु अधिकतम एक माह तक का समय दिया जायेगा।
19. किसी भी समिति/केन्द्र के अध्यक्ष/सचिव एवं संचालक मण्डल के सदस्य एवं उनके पारिवारिक सदस्य तथा संघ के स्थायी या अस्थायी कर्मचारी का स्वयं का या पारिवारिक सदस्य का वाहन नहीं होना चाहिए। ऐसा ज्ञात होने पर अनुबंध अवधि के दौरान भी वाहन को हटाया जा सकता है। इस हेतु निविदादाता को निविदा फार्म के साथ 100 रूपये के नोन जूडिसियल स्टाम्प पर शपथ-पत्र संलग्न प्रारूप में देना होगा।
20. एक निविदादाता के बीएमसी पथों पर दूध परिवहन हेतु अधिकतम तीन टैंकर (पूर्व में अनुबंधित टैंकरों सहित) ही स्वीकार किये जा सकेंगे तथा यदि पूर्व में अनुबंधित वाहन की कार्य अवधि अधिकतम तीन माह शेष है तो भी वह निविदा में भाग ले सकेगा।
21. निविदादाता को आरसीडीएफ के किसी भी संघ में दुग्ध परिवहन कार्य का अनुभव होना आवश्यक है।
22. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को **Food Safety and Standard ACT 2006** के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदत्त पंजीकृत प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में कार्य आदेश पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर



श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०. हनुमानगढ ज०.

अनुबन्ध शर्तें (बी.एम.सी.टैंकर)

1. ठेका अवधि कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी । विशेष परिस्थितिओं में संघ द्वारा आरटीपीपी एक्ट के तहत अवधि बढ़ाई जा सकती है। निश्चित समय में स्वीकृत दर पर कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर अमानत राशि जब्त कर ठेका अन्य को दे दिया जावेगा व भविष्य में ठेका देने से भी वंचित किया जा सकता है।
2. ठेकेदार को दुध परिवहन SS इन्सुलेटेड टैंकर 9000 से 12000 किलोग्राम क्षमता का अन्दर से SS304 बाहर से SS304 / 202 में ही करना होगा, ठेकेदार का वाहन अच्छी कंडीशन का होना चाहिए तथा निर्धारित देय टैंकर क्षमता का जिला परिवहन अधिकारी द्वारा लोडिंग पास होना चाहिए। दुग्ध वाहन टैंकर का मॉडल 2019 या उसके बाद का होना चाहिये।
3. SS इन्सुलेटेड टैंकर 9000 से 12000 किलोग्राम क्षमता अन्दर से SS304 व बाहर से SS304/ 202 के टैंकर हेतु 9000 किलोग्राम प्रति किलोमीटर की दरें मागी गई है। परिवहन भुगतान परिवहन किये जाने वाले वास्तविक दुध की मात्रा अनुसार प्रोराटा के आधार पर होगा। जिसमें अधिकतम क्षमता 12000 किग्रा दुग्ध परिवहन का भुगतान देय होगा।
4. 9000 किलोग्राम से कम मात्रा के परिवहन पर न्यूनतम 9000 किलोग्राम दूध मात्रा का प्रतिकिलोमीटर की दर से भुगतान दिया जावेगा। बशर्ते टैंकर की क्षमता परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित क्षमता 9000 किलोग्राम से अधिक हो।
5. ठेकेदार के वाहन का इश्यूलेशन इस प्रकार होना चाहिए, कि दूध का तापमान भरे गये दूध के तापमान से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। यदि बीएमसी /दुग्ध अवशीतन केन्द्र से डिस्पेच समय पर उठाये गये दूध के तापमान में वृद्धि होने पर 7 डिग्री से अधिक पाया जाता है तो न्यूनतम 200 रुपये का जुर्माना किया जा सकेगा।
6. वाहन ठेकेदार को अपने वाहन व परिवहन किये जाने वाले दूध का बीमा स्वयं को करवाना होगा। दुर्घटना होने की दशा में बीमा कम्पनी से क्लेम की जिम्मेवारी वाहन ठेकेदार की होगी।
7. वाहन ठेकेदार को स्वयं के खर्चे पर सरस उत्पाद का विज्ञापन दिये गये प्रारूप अनुसार टैंकर पर संघ के निर्देशानुसार लिखवाना होगा।
8. ठेकेदार को वाहन साफ सुथरा रखना होगा। संघ परिसर में वाहन धोने की सुविधा उपलब्ध करवाई जावेगी, जिसके बदले 1000 रुपये प्रतिमाह परिवहन बिल से कटौति की जायेगी।
9. सरकार द्वारा डीजल की दर में वृद्धि/कमी की स्थिति में भारत सरकार/राजस्थान सरकार के हनुमानगढ में निविदा दिनांक को प्रचलित दर (अधिसूचित किसी भी वृद्धि/कमी सहित) पर 6 किलोमीटर प्रतिलीटर डीजल की माईलेज मानते हुए दर में कमी/वृद्धि की जावेगी।
 1. उदाहरण के लिये अगर डीजल की दर में 6 रुपये प्रतिलीटर की वृद्धि/कमी होती है तो मूल दर में 01 रुपये की वृद्धि/कमी हो जायेगी।



10. दुग्ध समितियों पर स्थापित बल्क मिल्क कूलर से दुग्ध टैंकर में लोडिंग करने हेतु आवश्यक श्रमिक टैंकर ठेकेदार नियोजित करेगा, जिसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा एवं वाहन ठेकेदार को निर्धारित स्वीकृत वाहन में ही दूध लाना होगा। विशेष परिस्थितियों/वाहन खराब होने की दशा में ठेकेदार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी एवं दुग्ध की गुणवत्ता खराब होने एवम अन्य किसी कारण से दुग्ध का नुकसान होने पर दूध के हुए नुकसान के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा, जिसकी कटौति वाहन ठेकेदार से की जावेगी।
11. टैंकर संघ के विभिन्न बीएमसी पथों पर आवश्यकता अनुसार रोटेशन में चलाया जा सकेगा।
12. ठेकेदार द्वारा वाहन नहीं भेजने पर यदि कार्यालय द्वारा कोई व्यवस्था की जावेगी तो उसका पूर्ण व्यय वाहन ठेकेदार से वसूल किया जावेगा, तथा 5000/-रूपये का जुर्माना किया जा सकेगा।
13. वाहन ठेकेदार को भूगतान हेतु बिल प्रिन्टेड स्वीकृत प्रारूप में हर माह में दो बार दिनांक 1-15 व 16 से 30/31 तक तीन प्रतियों में निर्धारित समय में प्रस्तुत करना होगा।
14. आयकर व अन्य वैधानिक भार वाहन ठेकेदार के बिल से नियमानुसार काटा जावेगा।
15. संघ के अधिकृत अधिकारी को दुग्ध पथ में फेरबदल एवं अतिरिक्त ट्रिप का अधिकार होगा। पथ को लम्बा या छोटा किसी समय किया जा सकता है। संघ हित में किये परिवर्तन में ठेकेदार को किसी प्रकार का क्लेम या अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
16. संघ कर्मचारी हड़ताल पर होने पर ठेकेदार को निरंतर पथ से सकलित दूध को लाना होगा।
17. ठेकेदार से किसी प्रकार की वसूलियों को ठेकेदार के बकाया बिल या धरोहर राशि वसूली का पूर्ण अधिकार संघ को होगा एवं ठेकेदार के कर्मचारी/प्रतिनिधी द्वारा की गई गलती हेतु वाहन ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
18. यदि ठेकेदार द्वारा ठेका बीच में छोड़ दिया जाता है तो उसकी संघ में जमा धरोहर राशि एवं अन्य बकाया राशि जब्त कर ली जावेगी।
19. वाहन ठेकेदार को वाहन खराब होने या दुर्घटना होने पर दुर्घटना के मामले में दूध खराब होने पर ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा व रिकवरी ठेकेदार से कि जावेगी।
20. ठेकेदार को परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित कागजात जैसे टैक्स, टोकन एवं क्षमता इत्यादि पूर्ण रखने होंगे। उपरोक्त की कमी से किसी प्रकार का सयंत्र/दुग्ध अवशीतन केन्द्र/दुग्ध समिति का नुकसान ठेकेदार से वसूल योग्य होगा।
21. वाहन में दूध के साथ अनाधिकृत व्यक्ति/सवारियों/माल ले जाने पर चैंकिंग के समय 500/-रूपये प्रति सवारी/प्रति नग जुर्माना किया जा सकेगा।
22. प्रबन्ध संचालक के द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी वाहन की जांच पथ में कहीं भी कर सकता है।
23. परिस्थितियों व संघ की आवश्यकता अनुसार अनुबंध की शर्त में परिवर्तन/संशोधन/विलोपन एवं नई शर्त जोड़ने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
24. अपरिहार्य कारणों से परिवहन ठेके को निरस्त करने का अधिकार संघ के प्रबन्ध संचालक के पास निहित रहेगा इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई किराया देय नहीं होगा तथा आवश्यकता नहीं होने पर अनुबंध बीच में निरस्त किया जा सकता है।
25. रास्ते में मिलावट करते पकड़े जाने पर या दूध बेचने या अन्य किसी तरीके से हेराफेरी करने पर ठेका प्रारम्भ की दिनांक से समिति /केन्द्र/संघ को हुए नुकसान की वसूली ठेकेदार से की जावेगी एवं रूपये 41,000/- का जुर्माना किया जायेगा एवं ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं उसकी अमानत व धरोहर राशि जब्त कर आगामी 5 वर्षों हेतु संघ की किसी भी निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
26. किसी भी शर्त का उल्लंघन करने या कार्यालय/ समिति के कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार अथवा कार्य आदेश की अवहेलना करने पर 2000/- रूपये तक का आर्थिक दण्ड एवं ठेका समाप्त करने का अधिकार संघ को होगा।
27. किसी भी हालत में ठेकेदार को दूध वापिस नहीं दिया जावेगा।



28. संघ परिसर से बिना स्वीकृति/गेट पास के यदि किसी प्रकार का सामान एवं दुग्ध या दुग्ध उत्पाद वाहन में ले जाते पाये जाने पर सामान की कीमत का 20 गुना तक जुर्माना किया जा सकता है।
29. टैंकर का उपयोग दुग्ध अवशीतन केन्द्र से दूध लाने के लिये भी किया जा सकेगा, जिसमें परिवहन ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
30. अनुबंध अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा कोई भी ऐसा कार्य/प्रदर्शन यूनियन बाजी, हडताल या अवैधानिक रूप से संगठन करके संघ की साख/प्रतिष्ठा पर विपरित असर डालता है तो उसका अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई हर्जाना/खर्चा आदि देय नहीं होगा। उसकी संघ में जमा धरोहर राशि, अन्य बकाया, दुग्ध परिवहन बिल की राशि जब्त कर उसे काली सूची में डाल दिया जायेगा।
31. वाहन ठेकेदार को संघ की आवश्यकतानुसार व संघ द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार बी. एम. सी. समितियों से दूध उठाकर मुख्य संयंत्र हनुमानगढ लाना होगा।
32. ठेके के दौरान टैंकर का इन्सुलेशन खराब हो जाता है, जिसके कारण दुग्ध का तापमान बढ़ता है तो संघ को हुए नुकसान की भरपाई ठेकेदार से की जावेगी एवं लगातार ऐसा होता है तो ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
33. परिवहन ठेकेदार को बीएमसी समितियों से टेस्टिंग शुदा (वजन,फैट,एसएनएफ) अच्छा दुग्ध प्राप्त कर इन्सुलेटेड टैंकर द्वारा डेयरी संयंत्र पर पहुंचाना होगा। ठेकेदार को बीएमसी समिति पर दुग्ध की सामान्य गुणवत्ता की जांच करनी होगी (तापमान देखकर,सूघकर,चखकर) एवं बीएमसी का कंट्रोल सैम्पल संघ में उपलब्ध करवाना होगा। अर्थात् प्रत्येक बीएमसी से लिये गये कंट्रोल सैम्पल निर्धारित सैम्पल बोतलों में प्रयोगशाला में विस्तृत जांच हेतु लाने होंगे। बीएमसी परिवहन ठेकेदार द्वारा टैंकर में स्वयं के खर्चे से संघ द्वारा निर्धारित आईस बॉक्स लगाना होगा ताकि बीएमसी का कंट्रोल सैम्पल सही स्थिति व टेम्परेचर मेन्टेन करते हुए डेयरी प्रयोगशाला में जांच हेतु लाया जा सके। संघ स्तर पर टैंकर का सैम्पल लिया जाकर उसकी जांच की जावेगी एवं उसकी किलोग्राम फेट/किलोग्राम एस.एन.एफ. की गणना की जावेगी। टैंकर की किलोग्राम फैट व किलोग्राम एसएनएफ एवं सभी बीएमसी समितियों की कुल किलोग्राम फैट व एसएनएफ में 0.25 प्रतिशत से अधिक हानि होने पर हानि की उस समय पर लागू आर एम जी दरों की एक गुणा दर से ठेकेदार के परिवहन बिलों से कटौती की जावेगी। अर्थात् संघ द्वारा निर्धारित मात्रा 0.25 प्रतिशत की हानि से अधिक हानि की वसूली आवश्यक रूप से होगी। हानि की गणना 15 दिन के आधार पर की जावेगी। परिवहन ठेकेदार को संघ/बीएमसी समितियों से दी जा रही ट्रकशीट/दुग्ध चालान को पूर्ण भरकर लाना होगा। बीएमसी टैंकर की टेस्टिंग से सम्बन्धित विवाद की स्थिति में कंट्रोल सैम्पल की टेस्टिंग मान्य होगी।
34. परिवहन ठेकेदार द्वारा बीएमसी समिति पर दुग्ध के वजन,फैट,एसएनएफ व तापमान की जांच कर भरा हुआ चालान संघ में लाना होगा। चालान नहीं लाने या अधुरा पाये जाने पर 2000 रुपये तक की शास्ती लगाई जा सकेगी व चालान में वजन, फैट, एसएनएफ व तापमान में हुए परिवर्तन (काट छांट) से समिति को हुई हानि की कटौति परिवहन ठेकेदार के परिवहन बिलों से की जा सकेगी।
35. संघ द्वारा बताये अनुसार सैम्पल सुरक्षित व निर्धारित तापमान पर लाने की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी व सैम्पल बॉक्स की व्यवस्था करनी होगी ऐसा ना करने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा व सैम्पल बॉक्स टूटा पाये जाने पर 1000 रुपये की शास्ती लगाई जा सकेगी।
36. परिवहन ठेकेदार द्वारा बीएमसी समितियों से दूध के कंट्रोल सैम्पल सुरक्षित व निर्धारित तापमान पर मुख्य संयंत्र पर लाने होंगे। कंट्रोल सैम्पल का तापमान निर्धारित तापमान से अधिक होने व सैम्पल खट्टा, दही पाये जाने पर बीएमसी समितियों को किलोग्राम फेट/किलोग्राम एस.एन.एफ भरे हुए चालान के आधार पर दी जावेगी व परिवहन ठेकेदार को 2000 रुपये तक की शास्ती लगायी जा सकेगी।

- 37.संघ में प्राप्त होने वाले दूध की एसिडिटी अधिक होने पर (0.162 से 0.171 तक) टैंकर के दूध की मात्रा अनुसार 2 रूपये प्रति किलोग्राम की कटौति परिवहन ठेकेदार के परिवहन बिलो से की जा सकेगी।
- 38.परिवहन ठेकेदार के कारण यदि परिवहन किये जाने वाला दूध खट्टा या दही होता है तो उसकी कटौति/वसूली परिवहन ठेकेदार से की जा सकेगी।
- 39.समिति/संघ द्वारा ठेकेदार के ड्राईवर/खलासी को जो भी डाक,पत्रादि/दुग्ध संबंधी चालान ट्रकशीट व अन्य सामग्री दी जावेगी वो उसे सुरक्षित समिति/संघ को देनी होगी। प्रपत्रों को खोने अथवा कांट छांट करने पर अथवा दुर्भावना पूर्ण अन्य कार्यावाही करने पर एवं समिति स्टोर से सामान,स्टोर से सामान परिवहन न करने पर ठेकेदार पर राशि 500/- तक जुर्माना किया जा सकेगा एवं हानि की पूर्ती उसके बिल से की जावेगी। वाहन ठेकेदार को अपने वाहन में निर्देशानुसार समस्त समितियों/ केन्द्रों पर टिके, एसिड, एलकोहल, वेटफेन, डाक, बिल, मिनरल मिक्चर, घी व अन्य सामान जिस दिन जारी किया जाता है उस दिन माल जैसा हो वैसा ही पहुंचाना होगा।
- 40.माल के खराब होने/कम होने/मिलावट पाये जाने पर माल का निर्धारित बिक्री मूल्य व परिवहन राशि ठेकेदार से वसूली योग्य होगा व ऐसा पाये जाने पर रूपये 5000/-तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।
- 41.वाहन ठेकेदार अपना वाहन संघ के अलावा अन्य किसी कार्य मे काम नहीं लेगा।
- 42.किसी भी शर्त का उल्लंघन करने/कोई शर्त तोडने/आदेशो की अवहेलना करने व संघ के अधिकारी /कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करने पर 5000 रूपये तक का जुर्माना लगाने के साथ साथ ठेका भी निरस्त किया जा सकेगा।
- 43.वाहन मे ओवरलोड सामान/सवारी का चालान होता है तो समस्त जिम्मेवारी वाहन ठेकेदार की होगी। जिसका जुर्माना वाहन ठेकेदार को वहन करना होगा।
- 44.दोनों पक्षकारों (परिवहन ठेकेदार व संघ कर्मचारी/समिति से संबन्धित) के मध्य किसी भी प्रकार का आपसी विवाद होने की दशा में प्रबन्ध संचालक, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, हनुमानगढ का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बन्धनकारी होगा।
- 45.अगर किसी वाहन ठेकेदार पर पूर्व में श्रीगंगानगर जिला दुग्ध संघ या आरसीडीएफ अधिनस्थ अन्य किसी दुग्ध संघ में अनुबन्ध निरस्त किया गया है, बीच अवधि वाहन हटाया गया है, अमानत राशि जब्त की गई है या काली सूची में डाला गया है तो उसकी निविदा अस्वीकृत भी की जा सकेगी।
- 46.किसी भी प्रकार का टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी राहगीरी लगती है, तो उसका भुगतान संबंधित ठेकेदार द्वारा ही किया जावेगा एवं उसकी समस्त जुम्मेवारी ठेकेदार की होगी एवं संघ द्वारा कोई पुनर्भरण नहीं किया जावेगा। टोल टैक्स की प्राप्ति रसीद परिवहन बिलों के साथ संलग्न करने पर टोल टैक्स का पूर्णभरण संघ द्वारा किया जावेगा।
- 47.परिवहन ठेकेदार को संघ से संबंधित किसी भी अवशीतन केन्द्र के अधीनस्त बीएमसी समितियों के दूध परिवहन का कार्य दिया जा सकता है यानि कि अनुबन्ध किसी एक ही अवशीतन केन्द्र से संबंधित नहीं होगा।
- 48.वाहन ठेकेदार को संघ द्वारा दी गई समय सारणी अनुसार दुग्ध परिवहन करना होगा व निर्धारित समय से देरी से आने पर निम्नानुसार जुर्माना लगाया जा सकगा।
1. एक घण्टा देरी पर रूपये 500/-
 2. दो घण्टे देरी पर रूपये 1000/-
 3. इससे अधिक देरी पर रूपये 2000/- जुर्माना किया जा सकता है।
- 49.बीएमसी में खाली एवं भरे टैंकर के वजन के समय किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की स्थिति में कार्य की अवहेलना मानते हुए जुर्माना लगाया जा सकेगा।
- 50.अनुबन्ध समाप्ति पर वाहन से संघ का नाम व सरस से संबंधित समस्त निशान हटाने होंगे। तत्पश्चात ही अन्तिम भुगतान एवं जमा अमानत राशि लौटाने हेतु आदेश प्रमाण -पत्र जारी किया जा सकेगा।



51. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र हनुमानगढ रहेगा।
52. ठेकेदार द्वारा टैंकर पर **GPS** लगाना होगा व जीपीएस सिस्टम को सुचारू रूप से चालु रखना आवश्यक होगा। टैंकर पर **LED LIGHT** वाला सरस **LOGO** स्वयं को लगाना होगा ऐसा न होने पर 2000/-रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
53. ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा निर्धारित अधिकतम क्षमता से अधिक दुग्ध परिवहन होने पर क्षमता से अधिक दुग्ध मात्रा का किराया देय नहीं होगा।
54. ठेका समाप्त होने पर बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अन्तिम बिल का भुगतान व धरोहर राशि लौटाई जावेगी।
55. संघ कर्मचारी को दुग्ध मार्ग में आने जाने हेतु वाहन में बैठाना होगा, उक्त की पालना नहीं करने पर वाहन ठेकेदार पर 500/- रूपये प्रति पारी जुर्माना किया जासकेगा।
56. कार्यालय की बिना पूर्व अनुमति के ठेकेदार अपना ठेका दूसरे ठेकेदार को ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। विशेष परिस्थितियों में ठेका 20000/- रूपये स्थानान्तरण शुल्क जमा करवा कर ही प्रबन्ध संचालक की स्वीकृति से ही स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
57. वाहन में डीजल की व्यवस्था हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
58. वाहन ठेकेदार के संघ द्वारा निर्धारित किये गये पथ पर ही वाहन चलाना होगा। निर्धारित पथ पर वाहन नहीं चलाने पर संघ के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा वाहन ठेकेदार पर 5000/- (पांच हजार रूपये) प्रतिदिन का जुर्माना किया जा सकता है।
59. बीएमसी समितियों के टैंकर को अन्य दुग्ध अवशीतन केन्द्र पर स्थानान्त्रित किया जा सकेगा।

अनुबन्धकर्ता का पूरा नाम.....

स्थाई पता :-.....

.....

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Annexure I

शपथ-पत्र

मैं.....पुत्र श्री.....जाति.....निवासी.....तहसील.....जिला...
शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि संघ द्वारा मेरे पर दुग्ध चोरी ,संघ को
 किसी भी प्रकार की हानि, संघ के कर्मचारी/अधिकारी से अभद्र व्यवहार बाबत, वयस्क
 एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने बाबत, ब्लैकलिस्ट व दिवालिया नही होने बाबत,
 निवास स्थान के पते के बाबत निविदा प्रपत्र में दर्शायी सभी जानकारियां सत्य व सही
 होने तथा कोई भी सूचना व दस्तावेज मिथ्या नही होने अथवा कोई तथ्य नही छिपाया
 गया होने बाबत संबंधित कोई आरोप नही है। मैं या मेरा पारिवारिक सदस्य किसी भी
 समिति/संकलन केन्द्र/संघ का स्थायी व अस्थायी कर्मचारी व किसी भी समिति का
 संचालक मण्डल का सदस्य नही हूँ।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता
 (निविदादाता)

नोट:- उक्त शपथ-पत्र 100 रूपये के स्टाम्प पैपर पर मान्य होगा।



शपथ-पत्र

मैं.....पुत्र श्री.....जाति.....निवासी.....तहसील.....
.....जिला.....शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि संघ द्वारा सफल
निविदादाता घोषित किये जाने पर मैं दुग्ध पथ में नया वाहन निर्धारित समय
अवधि में उपलब्ध करवा दूंगा व मैं निविदा होने की दिनांक के बाद की नये
वाहन की आर.सी. दूंगा। अन्यथा मेरी अमानत राशिजब्त कर ली जावे।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता
(निविदादाता)

नोट:- उक्त शपथ-पत्र उन्ही के लिए मान्य है, जिस निविदादाता द्वारा टैंडर
में नया वाहन लगाने के लिये आवेदन किया है। शपथ-पत्र 100 रूपये के
स्टाम्प पैपर पर मान्य होगा।

